संख्याः– 432057 /XXVII(10)/2026/E–37594/2022

प्रेषक,

डॉ0 वी0 षणमुगम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 15, सितम्बर, 2026

विषयः– राज्य में दिनांक 01.10.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिक की सेवा काल में मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, पुरानी पेंशन के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 278252/नि0को0पें0ह0/रा0पें0यो0–लेखा(02)/2026–27, दिनांक 06.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–57 06/2021–पी–पीडबल्यू(बी), दिनांक 14.10.2024 की भांति व्यवस्था निर्धारण हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–87549/2022/ई–37594, दिनांक 30.12.2022 द्वारा पूर्व में निम्न प्रावधान किया गया है– "उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर, संबंधित कार्मिक के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत हितलाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में, संबंधित कार्मिक (अभिदात्ता) के संचित पेंशन कॉरपस में राज्य सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ राज्य सरकार के खाते में अन्तरित किया जायेगा, शेष संचित कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अन्तर्गत नामनिर्देशन किया गया है। यदि कोई ऐसा नाम–निर्देशन नहीं है या यदि किया गया नाम–निर्देशन अस्तित्व में नही है तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा"

3– कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–57/06/2021–पी&पीडबल्यू(बी), दिनांक 14.10.2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित केन्द्र सरकार के कार्मिक की मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, पुरानी पेंशन के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कार्मिक के अंश तथा उस पर रिटर्न की वापसी के संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था की भांति उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिक की सेवाकाल में मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की दशा में पुरानी पेंशन के अधीन

हित लाभ प्राप्त करने पर, एन0 पी0 एस0 से संबंधित धनराशि/उस पर रिटर्न आदि के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिक की सेवा काल में मृत्यु होने/ निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के सदस्य/परिवार को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत हितलाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में, जहां कार्मिक के एन0पी0एस0 पेंशन कॉर्पस की सम्पूर्ण धनराशि (राज्य सरकार का अंशदान + उस पर रिटर्न एवं कार्मिक का अंशदान + उस पर रिटर्न) राजकोष में जमा कर दी गयी है, वहां "राज्य सरकार को अंशदान और उस पर प्रतिलाभ" को ही राजकोष में अंतरित किया जाएगा, शेष राशि संबंधित के नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी को नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान की जाएगी।

(2) इसी प्रकार, जहां राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से भी उसके कुटुम्ब के सदस्यों को हितलाभ प्रदान किए गए एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ लिए जाने से पहले "सरकार का अंशदान एवं उस पर प्रतिलाभ" राजकोष में जमा नहीं किया गया, तो इस प्रकार की अन्य सभी स्थितियों में "राज्य सरकार का अंशदान और उस पर रिटर्न" संबधित द्वारा राजकोष में ब्याज सहित जमा किया जाना होगा।

(3) इन दोनों ही स्थितियों में भुगतान/जमा की जाने वाली राशि पर ब्याज की दर, तत्समय लागू सामान्य भविष्य निधि (GPF) ब्याज की दर के बराबर होगी।

4– इस संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–57/06/2021–पी&पीडबल्यू(बी), दिनांक 14.10.2024 के अनुरूप क्रियान्वित की जायेगी। धनराशि की वापसी/जमा किये जाने हेतु बजट निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा संसूचित लेखाशीर्षकों (संलग्न–1)/संबंधित जमा/भुगतान लेखाशीर्षकों में अग्रेत्तर संशोधन/परिवर्तन इत्यादि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय/बजट निदेशालय से परामर्श/समन्वय स्थापित करते हुए निदेशालय द्वारा व्यवहृत किये जायेंगे।

5– उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु यथा–आवश्यक एस0ओ0पी0 निर्गत किये जाने/प्रक्रियात्मक निर्णय लिये जाने हेतु निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 15-09-2026
15:12:19

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव

संख्याः– 432057/XXVII(10)/2026/E–37594/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल
6. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन
7. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड
8. मण्डलायुक्त/कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून
12. कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबन्धक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
13. महाप्रबन्धक, सी0आर0ए0/एन0एस0डी0एल0/Protean, मुम्बई, महाराष्ट्र
14. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
15. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
16. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
17. गार्ड फाईल

आज्ञा से

Digitally signed by
Khajan Chandra Pandey
Date: 15-09-2026
15:25:41

(खजान चन्द्र पाण्डे)

अपर सचिव

संलग्नक–1

लेखाशीर्षक (Head-Codes)

- 0071–01–115 – Return on Government Contribution under Defined Contributory Pension Scheme – 01 – Money Remitted by PFRDA under NPS – 01 – Return on Government Contribution
- 0071–01–115 – Return on Government Contribution under Defined Contributory Pension Scheme – 01 – Money Remitted by PFRDA under NPS – 02 – Other Remittances
- 0071–01–115 – Return on Government Contribution under Defined Contributory Pension Scheme – 02 – Money Remitted by PFRDA under UPS – 01 – Return on Government Contribution
- 0071–01–115 – Return on Government Contribution under Defined Contributory Pension Scheme – 02 – Money Remitted by PFRDA under UPS – 02 – Other Remittances

Note- In cases where any modification is required to be made in the accounting head codes or where any other action relating to the accounting heads is required for the purpose of clarification, the Treasury Directorate may take necessary action in consultation with the Office of the Accountant General (A&E)/Budget Directorate. In such cases, obtaining separate approval of the Government shall not be required. However, the Government shall invariably be informed of all such cases.